तारिख हुक्म	
12-6-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 1-7-25 को पेश की जावे S.D.O सा. केम्प मे पधारे है।
1-7-25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. केम्प मे पधारे है। अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 9-7-25 को पेश की जावे।
9-7-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सूने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुन: अजिद बहस सूनी गई वादवादी का अ. धा. 53-88 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। डिक्री कि एक प्रति तहसीलदार बेगू को दि जाने पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 21-8-25 को पेश हो।
21-8-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्नानुसार दिनांक 1-10-25 को पेश की जावे
1-10-25	पत्रावली आज पेश हुई बाद ... स्थगन किया ... अब पत्रावली ... अनुसार दिनांक 27-10-25 को पेश की जावे
27-10-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से फर्द बटवारा रियोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी/प्रतिवादी की बहस सूनी गई, फर्द बटवारा रियोर्ट स्वीकार कि जाती है। दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

विमलाबाई
पेशा खेती
चितौडगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा संख्या :– 10 / 2022

विमलाबाई पति रामकुमार धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ

वादीया

बनाम

1 शांतिदास पिता नारायणदास वैष्णव निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
2 रामप्रसाद पिता नारायणदास वैष्णव निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
3 सुन्दर पिता नारायणदास वैष्णव निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ हा0मु0 पति मदनदास बैरागी निवासी सामरियाकलां तह0 बेगूँ
4 झमकुबाई पिता नारायणदास वैष्णव निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
5 शंभूदास पिता गोपीदास बैरागी निवासी बदे का राजपुरा हा.मु. पुलिस लाईन भीलवाडा
6 जगदीश चन्द्र पिता गोपीदास बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा हा.मु. कावाखेडा भीलवाडा
7 मोहनीबाई पत्नी गोपीदास बैरागी निवासी बन्दे का राजपुरा हा.मु.पुलिस लाईन भीलवाडा
8 घीसीबाई पुत्री गोपीदास जी बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा हा.मु. पत्नी कैलाशदास बैरागी निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
9 बदामबाई पुत्र गोपीदास जी बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा हा.मु. पति लादुदास बैरागी निवासी आशा होली भीलवाडा
10 कौशल्या पुत्री गोपीदास जी बैरागी निवासी बन्दे का राजपुरा हा.मु. पति प्रेमशंकर बैरागी निवासी गुढा नाथावतो का तहसील बूंदी जिला बूंदी
11 जमनालाल पिता हीरालाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
12 कैलाशीदेवी पति शांतिदास जी बेरागी निवासी बंदे का राजपुरा तह0 बेगूँ
13 हरकूबाई पति रामप्रसाद बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा तह0 बेगूँ
14 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बीओबी शाखा बेगूँ
15 श्रीमान शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा बेगूँ
16 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़
17 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीया
श्री अनिल शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2,13

निर्णय दिनांकः– 27.10.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 13 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में निम्नुनसार दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजार बन्दे का राजपुरा प.ह. मेघपुरा के खाता संख्या 100

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
280	1.9920
441 / 280	2.5900
कीता–2 कुल रकबा	4.5820 हैक्टर

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में अंकित भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या एक से लगाकर 13 तक के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में होकर वादीया व प्रवितादीगण आपसी सहमति से मौखिक विभाजन अनुसार काबीज होकर काश्त कर रहे है वादीया का वादपत्र मे वर्णित आराजयीात में 1 / 4 हक हिस्सा निहित होकर वादीया अपने हक हिस्से पर काबीज हो काश्त कर रही हैं। इसी प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिससे अनुसार मौखिक बंटवाडा कर निरतंर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है, और लगान भी अदा करते आ रहे है। लेकिन उक्त कृषि भूमि का मौके पर एवं राजस्व रिकोर्ड में विधिवत विभाजन नही होने के कारण वादीया व

प्रवितादीग्गा के मध्य आए दिन फसल बोने व घास चारा काटते समय आए दिन विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिए वादीया ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर विभाजन कराने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया जिससे वादीया को यह वादपत्र वास्ते विभाजन हेु न्यायालय श्रीमान मे पेश करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 20.09.2021 को वादीया ने प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर भूमि का बंटवाडा कराने एवं खाता अलग कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश है। वर्णित कृषि आराजीयात वैंक शाखा के रहन होने से बैंक शाखा को पक्षकार वनाया गया है तथा श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहव विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जी राज्य के प्रतिनिधि होने से फोर्मल तौर पर पक्षकार बनाए गये है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण अनुतोष की डिकी प्रदान कराई जावें :—

(क) कि मौजा बन्दे का राजपुरा प.ह. मेघपुरा तहसील बेगूँ की खाता संख्या 100 में अंकित आराजी संख्या 280, 441/280 कुल कीता— 2 कुल रकबा 4.5820 हैक्टर भूमि में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाकर 13 तक का जमाबंदी में अंकित हक हिस्से अनुसार भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार एवं राजस्व रिकोर्ड में अंकित हक हिस्सा अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किए जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादीया का खाता अलग रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादी केपक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादीया हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादीया का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीया संख्या 2 व 13 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र का ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित कृषिं आराजीयात की मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे अनुसार भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है वाद मुताबीक डिकी फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 बावजूद सूचना के उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गयें। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 16 भूमिधारी व जिला कलक्टर महोदय विभाजन के वादपत्र में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा कोई जावाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

पत्रावली में वादीया विमलाबाई पति रामकुमर धाकड के साक्ष्य वादीया में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनसे मुख्य परीक्षण में अधिवक्ता प्रवितादी द्वारा जिरह करते हुए वादीया के बयान कलमबद्ध कराये गये तथा वादीया ने प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया है। पत्रावली में वादीया की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात वादपत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन कर खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज कराये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में बहस अधिवक्ता की सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत नकल जमाबंदी का गहन अवलोकन किया गया। वर्णित कृषि भूमि मौजा बन्दे का राजपुरा प.ह. मेघपुरा तहसील बेगूँ की खाता संख्या 100 में अंकित आराजी संख्या 280, 441/280 कुल कीता— 2 कुल रकबा 4.5820 हैक्टर भूमि में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाकर 13 तक का जमाबंदी में अंकित दर्ज है। वादीया अपने हक हिस्से का बंटवारा करा पाने की अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत पाई जाती हैं। वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाने व प्राथमिक डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

) अतः वाद वादीया का अन्तर्गत धारा 88—53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मौजा बन्दे का राजपुरा प.ह. मेघपुरा तहसील बेगूँ की खाता संख्या 100 में अंकित आराजी संख्या 280, 441/280 कुल कीता— 2 कुल रकबा 4.5820 हैक्टर भूमि में वादीया का 1/4 हक हिस्सा तथा शेंष हक हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 तक रखते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का अच्छी से अच्छी एंव बुरी से बुरी व कब्जे के आधार पर तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/—कमिश्नर शुल्क पर तहसीलदार बेगूँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णय अनुसार कृषि आराजीयात का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन कराते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय में भिजावावे।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/राजस्व /2025/819 दिनांक 24.09.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बन्दे का राजपुरा पटवार हल्का मेघपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1— श्री मति विमलाबाई पति रामकुमार निवासी बन्दे का राजपुरा खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
280 मे	0.8620
441/280 मे	0.2680
कीता— 02	1.1300 हैक्टर

2— श्रीमति कैलाश देवी पति शांतिदास 1/6, गोपीदास पुत्र लक्ष्मणदास 2/15, रामप्रसाद पुत्र नारायणदास 1/6, शांतिदास पुत्र नारायणदास 1/6, हरकूबाई पति रामप्रसाद बैरागी 1/6,सा.देह जमनालाल पुत्र हीरालाल 1/5, धाकड सा. बन्दे का राजपुरा खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
280 मे	1.1300
441/280 मे	2.2600
कीता— 02	3.3900 हैक्टर

3— जमाबन्दी खाता बदस्तूर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म
441/280 मे	0.0620	आ.च.
कीता— 01	0.0620 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 10/2022

विमलाबाई पति रामकुमार धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ

वादीया

बनाम

1 शांतिदास पिता नारायणदास वैष्णव निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
2 रामप्रसाद पिता नारायणदास वैष्णव निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
3 सुन्दर पिता नारायणदास वैष्णव निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ हा0मु0 पति मदनदास बैरागी निवासी सामरियाकलां तह0 बेगूँ
4 झमकुबाई पिता नारायणदास वैष्णव निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
5 शंभूदास पिता गोपीदास बैरागी निवासी बदे का राजपुरा हा.मु. पुलिस लाईन भीलवाडा
6 ज्गदीश चन्द्र पिता गोपीदास बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा हा.मु. कावाखेडा भीलवाडा
7 मोहनीबाई पत्नी गोपीदास बैरागी निवासी बन्दे का राजपुरा हा.मु.पुलिस लाईन भीलवाडा
8 घीसीबाई पुत्री गोपीदास जी बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा हा.मु. पत्नी कैलाशदास बैरागी निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
9 बदामबाई पुत्र गोपीदास जी बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा हा.मु. पति लादुदास बैरागी निवासी आशा होली भीलवाडा
10 कौशल्या पुत्री गोपीदास जी बैरागी निवासी बन्दे का राजपुरा हा.मु. पति प्रेमशंकर बैरागी निवासी गुढा नाथावतो का तहसील बूंदी जिला बूंदी
11 जमनालाल पिता हीरालाल धाकड निवासी बंदे का रामनगर तह0 बेगूँ
12 कैलाशीदेवी पति शांतिदास जी बेरागी निवासी बंदे का राजपुरा तह0 बेगूँ
13 हरकूबाई पति रामप्रसाद बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा तह0 बेगूँ
14 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बीओबी शाखा बेगूँ
15 श्रीमान शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा बेगूँ
16 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़
17 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88–53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिती में वाद अ.धा. 53–88 आर. टी.एक्ट में आज दिनांक को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बन्दे का राजपुरा पटवार हल्का मेघपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री मति विमलाबाई पति रामकुमार निवासी बन्दे का राजपुरा खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
280 मे	0.8620
441/280 मे	0.2680
कीता– 02	1.1300 हैक्टर

[signature]

2— श्रीमति कैलाश देवी पति शांतिदास 1/6, गोपीदास पुत्र लक्ष्मणदास 2/15, रामप्रसाद पुत्र नारायणदास 1/6, शांतिदास पुत्र नारायणदास 1/6, हरकूबाई पति रामप्रसाद बैरागी 1/6,सा.देह जमनालाल पुत्र हीरालाल 1/5, धाकड सा. बन्दे का राजपुरा खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेंगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
280 मे	1.1300
441/280 मे	2.2600

कीता— 02 3.3900 हैक्टर

3— जमाबन्दी खाता बदस्तूर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म
441/280 मे	0.0620	आ.च.

कीता— 01 0.0620 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 862 दिनांक :— 28-10-25

दावा संख्या 10/2022 व अनवान विमलाबाई बनाम शांतिदास वगै वाद अ0धा0 88—53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है ।

नक्शा ट्रेस सलग्न

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

... स्वीकृत कर ली गई पैरवी फीस लौटाने की मांग नही कर सकेगें। यदि खास वजह से वकील सा. पैशी पर हाजिर नही हो सकेगें तो मै/हम पैशी इल्तवा कराये या किसी दुसरे से पैरवी कराये, इनके हाजिर नही होने से कोई उजर नही होगा। लिहाजा यह वकालात पत्र राजीखुशी में लिख दिया सो सनद रहे और इसकी करायी हुई उपरोक्त सब कार्यवाही हमें मंजुर व कबुल होगी। अदालत से निवेदन है कि वकालात पत्र स्वीकृत किया जावे।

हस्ताक्षर
विमला

दिनांक 2/9/21

ह. अधिवक्ता

अधिकार देने वाला/देने वाले